[1]राजस्थान पंचायत राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में आशोधन) अधिनियम, 1999

(1999 का अधिनियम संख्यांक 16)

[राज्यपाल की अनुमति 30 सितम्बर, 1999 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, *1994 (1994* का अधिनियम संख्यांक *13)* के उपबंधों को राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के लिए संशोधन करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम ताकि उन्हें पंचायत *(*अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार*)* अधिनियम, *1996 (1996* का केंद्रीय अधिनियम संख्यांक *40)* के उपबंधों के अनुरूप लाया जा सके ।

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में राजस्थान विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ : (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान पंचायत राज **(**उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में आशोधन**)** अधिनियम**, 1999** है।

(2) इसका विस्तार संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में यथानिर्दिष्ट राजस्थान के अधिसूचित क्षेत्रों पर है सिवाय उन क्षेत्रों के जो नगरपालिका द्वारा प्रशासित हैं।

(3) यह 26 जून, 1999 को और उससे प्रवृत्त माना जाएगा।

2. परिभाषाएं : इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए 'गांव' से अभिप्रेत है ऐसा गांव जिसे राज्यपाल ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट किया हो;

(ख) "पंचायती राज संस्था" का वही अर्थ होगा जो इसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है।

3. अपवाद और आशोधन : राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियम या किसी अन्य विधि, जैसा भी मामला हो, के उपबंध राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित अपवादों और आशोधनों के अध्यधीन लागू होंगे, अर्थात:-

(क) प्रत्येक गांव की एक ग्राम सभा होगी जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचन तालिका में शामिल हैं;

(ख) प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परम्पराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद समाधान की प्रथागत रीति की रक्षा और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी;

(ग) प्रत्येक ग्राम सभा -

---

1. अधिसूचना सं.एफ. (27) विधि/2/99, दिनांक 30.9.1999, राजस्थान के राजपत्र असाधारण भाग-4 (क) दिनांक 30.9.1999, पृष्ठ 57 (1) में प्रकाशित।

(i) पंचायत द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को क्रियान्वयन हेतु लिए जाने से पूर्व उन योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी;

(ii) गरीबी उपशमन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान और चयन के लिए उत्तरदायी होगी;

(घ) प्रत्येक पंचायत को ग्राम सभा से योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा धन के उपयोग का खंड (ग) में संदर्भित प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा:

(ङ) प्रत्येक पंचायती राज संस्था में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण उस पंचायती राज संस्था में समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में होगा, जिसके लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 15 और 16 के अंतर्गत आरक्षण दिए जाने की मांग की गई है :

परंतु यह कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीटों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा:

परंतु यह और कि सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए आरक्षित होंगी;

(च) राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नामांकित कर सकेगी, जिनका पंचायत समिति या जिला परिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है:

परंतु या कि ऐसा नामांकन उस पंचायती राज संस्था में निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा।

(छ) विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले और पुन: स्थापित करने या पुनर्वास से पहले ग्राम सभा या पंचायती राज संस्था से ऐसे स्तर पर परामर्श किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा। अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और कार्यान्वयन का समन्वय राज्य स्तर पर किया जाएगा;

(ज) अनुसूचित क्षेत्रों में छोटे जल निकायों की योजना और प्रबंधन, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा, ऐसे स्तर, जो निर्दिष्ट किया जाए, पर पंचायती राज संस्थान को सौंपा जाएगा;

(झ) अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए कोई भी पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को ऐसे स्तर पर और ऐसे तरीके से, जो निर्दिष्ट किया जाए, ग्राम सभा या पंचायती राज संस्थान की पूर्व अनुशंसा प्राप्त किए बिना नहीं दिया जाएगा;

(ञ) अनुसूचित क्षेत्रों में नीलामी द्वारा गौण खनिजों की निकासी के लिए ग्राम सभा या पंचायती राज संस्था की सिफारिश प्राप्त किए बिना ऐसे स्तर पर और ऐसे तरीके से, जो निर्दिष्ट किया जाए, कोई रियायत नहीं दी जाएगी;

(ट) किसी अधिसूचित स्तर पर, उपयुक्त स्तर पर पंचायती राज संस्था अथवा ग्राम सभा, जो निर्दिष्ट की जाए, के पास निम्न होगी -

(i) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अध्यधीन किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लागू करने या विनियमित करने या प्रतिबंधित

करने की शक्ति:

(ii) लघु वन उपज का स्वामित्व ऐसे नियमों के अध्यधीन है जो राज्य सरकार द्वारा लघु वन उपज के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं;

(iii) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने और राज्य में लागू विधियों के अनुसार उचित कार्रवाई करने, अनुसूचित जनजाति की किसी भी गैर-विधिक रूप से हस्तांतरित भूमि को बहाल करने की शक्ति:

(iv) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अध्धीयन ग्राम बाजार को किसी भी नाम से प्रबंधित करने की शक्ति:

(v) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देने पर नियंत्रण रखने की शक्ति;

(vi) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट सीमा तक और रीति से सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति;

(vii) स्थानीय योजना और संसाधनों या आदिवासी उप-योजना सहित ऐसी योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट सीमा तक और रीति से नियंत्रण करने की शक्ति।

4. नियम बनाने की शक्ति: (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए सभी नियम, उनके बनाए जाने के बाद यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम चौदह दिनों की अवधि के लिए रखे जाएंगे, जो एक सत्र में शामिल हो सकती हैं या क्रमिक सत्रों में, और यदि, उस सत्र की समाप्ति से पूर्व, जिसमें वे रखे गए हैं या तुरंत बाद के सत्र में, राज्य विधानमंडल ऐसे किसी भी नियम में कोई संशोधन करता है, या संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो इसके उपरांत नियम केवल ऐसे संशोधित स्वरूप में ही प्रभावी होंगे या, जैसा भी मामला हो, प्रभावहीन होंगे, लेकिन इस तरह का कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उसके अंतर्गत पहले की गई किसी भी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

5. निरसन और व्यावृत्ति : (1) राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में आशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या 4) को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे किसी निरसन के होते हुए भी, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के तहत की गई सभी कार्रवाइयां अथवा दिए गए आदेश इस अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा संशोधित किसी अन्य विधि के अधीन लिए गए या किए गए माने जाएंगे।

———